अब वनकर्मियों पर सीधे एफआईआर नहीं होगी

राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, मजिस्ट्रीयल जांच में सिफारिश की तो ही दर्ज होगी एफआईआर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 अगस्त. प्रदेश में अब यदि वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के दौरान वनकर्मी गोली चलाते हैं, तो ऐसे मामले में उनके खिलाफ सीधे आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा. इससे पहले मामले की मजिस्ट्रियल जांच होगी, यदि जांच में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की जाएगी, तब ही वनकर्मियों पर मामले दर्ज किए जा सकेंगे.

राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होते ही नए नियम प्रदेश में प्रभावी हो गए हैं. अधिसूचना के मुताबिक यदि जांच में हथियार का इस्तेमाल गैर जरुरी, अनुचित या दुर्भावना से किया जाना साबित नहीं होता है तो फिर वनकर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया जाएगा. यदि जांच में वनकर्मियों की लापरवाही मिली और रिपोर्ट को राज्य सरकार ने स्वीकार किया तो फिर मामला दर्ज किया जा सकेगा. नए प्रावधानों के हिसाब से मामले की जांच संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दंडाधिकारी करेंगे. दरअसल लटेरी गोलीकांड के बाद इस संबंध में सवाल उठने लगे थे. दरअसल 9 अगस्त 2022 को विदिशा जिले के लटेरी के जंगलों में लकड़ी तस्करों को रोकने पर वन विभाग और ग्रामीणों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी. वनकर्मियों ने पथराव का आरोप लगाया था तो ग्रामीणों ने गोली चलाने का आरोप लगाया था. इस घटना में एक आदिवासी युवक चैन सिंह की मौत हो गई थी. वहीं तीन अन्य घायल हो गए थे. इस घटना के बाद डिप्टी रेंजर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, इस पर वनकर्मियों ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी. जब मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की गई थी.

जेलों में बंद 124 कैदियों को मिलेगी छूट

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल . मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार एवं निर्धारित पात्रता के आधार पर प्रदेश की जेलों में निरुद्ध कुल 124 पात्र बंदियों को सजा में छूट/विशेष परिहार का लाभ प्रदान किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि स्वाधीनता दिवस पर 118 आजीवन कारावास से दंडित बंदियों को समय पूर्व रिहाई तथा 6 अन्य पात्र बंदियों को विशेष परिहार का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र बंदियों की समय पूर्व रिहाई और विशेष परिहार दूसरे निरुद्ध बंदियों को भी अच्छा आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. उन्होंने कहा कि सुधारात्मक न्याय व्यवस्था की भावना के अनुरूप सरकार की यह पहल पात्र बंदियों के पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा में उनकी सम्मानजनक पुनर्स्थापना के मंतव्य को और भी गति देगी.

जनकल्याण शिविर में सुनीं लोगों की समस्याएं

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 7 अगस्त. मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को वार्ड 47 के श्याम नगर में जनकल्याण शिविर लगाया गया.

शिविर में सीवेज, पानी, कचरा और महिलाओं के पेंशन संबंधित 17 शिकायतें आई. अधिकारियों ने निगम के संबंधित विभागों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए. कुछ मामलों में मौके पर ही कार्रवाई की गई. शिविर में राजस्व रिकॉर्ड, फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से जुड़े मामले आए. शिविर में महापौर मालती राय, विधायक भगवानदास सबनानी, अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और नगर निगम आयुक्त व जनकल्याण शिविर की नोडल अधिकारी संस्कृति जैन मौजूद रही.

नाम परिवर्तन

मैं IMRAN KHAN S/O BANNE KHAN आयु वयस्क निवासी: म.नं. 01 नियर हनीफ शादी हॉल सर्वधर्म नगर भोपाल मेरे पासपोर्ट में पहले मेरी पत्नी का नाम SHABANA KHANAM दर्ज था, जो कि बदल कर मेरी पत्नी का नाम SHABANA KHAN हो गया है. अब मेरे दस्तावेज़ में मेरी पत्नी का नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

नाम परिवर्तन

मैं SHABANA KHAN W/O IMRAN KHAN आयु वयस्क निवासी: 01 नियर हनीफ शादी हॉल सर्वधर्म नगर भोपाल, यह कि पहले मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम SHABANA KHANAM दर्ज था, जो कि बदल कर मेरा नाम SHABANA KHAN हो गया है. अब मेरे दस्तावेज़ में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

नाम परिवर्तन

मैं ABDUL SHAFIQ S/O ABDUL RAQEEB आयु वयस्क निवासी: 20 नवीन नगर रोड रानी अमन बाई कॉलोनी ऐशबाग़ भोपाल मेरे पासपोर्ट में पहले मेरा नाम MOHAMMAD SHAPHIK और मेरे पिता का नाम ABDUL RAPHIK और मेरी माता का नाम SAPHIYA BEE दर्ज था, जो कि बदल कर मेरा नाम ABDUL SHAFIQ और मेरे पिता का नाम ABDUL RAQEEB और मेरी माता का नाम SHAFIYA BEE हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम और मेरे पिता का और मेरी माता का नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

प्रबंध संचालक ने किया मंडी का निरीक्षण

किसानों, व्यापारियों और हम्मालों से की चर्चा

नवभारत न्यूज

बैरसिया,7 अगस्त. राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के आयुक्त, सह प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को कृषि मंडी बैरसिया का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मंडी की कार्यप्रणाली की समीक्षा की.

प्रबंध संचालक ने किसानों, व्यापारियों,हम्मालों और तुलावटियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और सुझाव लिए. वही ई मंडी प्रणाली, स्थापित लैब, नीलामी शेड , सीसी रोड, कृषक विश्राम गृह , पार्क, शौचालय , कृषक भोजन व्यवस्था आदि अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया.

इसी दौरान कुमार पुरुषोत्तम ने प्रस्तावित नवीन फल एव सब्जी मंडी प्रांगण का भी निरीक्षण कर विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इस अवसर पर विधायक विष्णु खत्री , भोपाल संभाग की संयुक्त संचालक सविता झानीया, अधीक्षण यंत्री मधुकर पंवार, कार्यपालन यंत्री एससी गोयल, नायब तहसीलदार दुर्गा पटले , मंडी सचिव सुनील कुमार भालेकर आदि मौजूद थे.

आईबी लाइब्रेरी का बेसमेंट सील

- नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त मुहिम
- कोचिंग संस्थानों का किया औचक निरीक्षण

अग्नि सुरक्षा में लापरवाही मिली

भोपाल, 7 अगस्त . नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए शुक्रवार को एमपी नगर क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों और कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया.

फायर ब्रिगेड और जोन अधिकारियों की टीम ने एमपी नगर जोन-2 स्थित भूखंड क्रमांक-15 पर संचालित आईबी लाइब्रेरी में निर्धारित मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं मिलने पर कार्रवाई करते हुए बेसमेंट सील किया गया.

निरीक्षण के दौरान एचडीएफसी बैंक सहित सात अन्य संस्थानों को भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए. इन संस्थानों को दो दिन में आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है. टीम ने नीट मेंटर क्लासेस को भी सुरक्षा इंतजाम पूरे करने का समय दिया. वहीं एचडीएफसी बैंक को स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर लगाने के निर्देश दिए गए.

इसके अलावा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, एजुकेशन भवन, रॉव अकादमी, प्रतीज्ञा समाजसेवा कल्याण समिति और आराध्या लाइब्रेरी को भी फायर एग्जिट, फायर हाइड्रेंट सिस्टम और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं.

पालिका की बैठक में 5 प्रस्ताव मंजूर

नवभारत न्यूज

मंडीदीप, 7 अगस्त. मंडीदीप नगर पालिका में इन दिनों विकास की कमी देखने को मिल रही है.इस कारण परिषद को लेकर जनता में आक्रोश पनपता जा रहा है. यही कारण है कि भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा की मौजूदगी में नगरपालिका की बैठक का आयोजन किया गया.

सीएमओ सुधीर उपाध्याय ने बताया कि नगर पालिका परिषद की बैठक में 11 प्रस्ताव थे, जिसमें से 5 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. वार्ड क्रमांक 1 ,2, 3 ,4 ,5, 7, 8 ,10 ,11 ,15, 16, 17, 20 21, 24, 25 में जीआई की पाइप लाइन की स्वीकृति दर प्रस्तावित करना, पुराने फायर स्टेशन के ऊपर नवनिर्मित शॉपिंग कंपलेक्स की 29 दुकानों की नीलामी, गर्मी में टैंकरों की व्यवस्था उपलब्ध कराना, गीता भवन का निर्माण कार्य कराना है. वार्ड क्र. 11 में सब्जी बाजार लगाना एवं नामांतरण के परिवार मामले में न्यायालय भेजने पर सहमति बनी. भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने कहा कि मंडीदीप के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे सभी पार्षदों को समन्वय बनाकर चलना है. जानकारी के अनुसार कुछ पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने चाहतों के वार्ड में 4 वर्ष के कार्यकाल में तेजी से विकास कराए हैं बाकी वार्डों में विकास को तरस रहे हैं.

गांजा सहित महिला आरोपी गिरफ्तार

भोपाल. खजूरी सड़क थाना पुलिस ने गांजा सहित एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने करीब 12 हजार रुपए की कीमत का गांजा जब्त किया है. पुलिस के मुताबिक चिरायू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने स्थित चाय की गुमटी के पास एक महिला अवैध गांजा लेकर बेचने कि फिराक में है. पुलिस ने महिला को घेराबंदी कर पकड़ा. पूछताछ में उसने अपना नाम माया केशवानी (47) निवासी सीहोर नाका बताया.

पश्चिम मध्य रेल

वाणिज्य शाखा
No.: C-BPL-PNU-DLX-110988
Date: 07.08.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में BOT (डीलक्स) पे एंड यूज शौचालयों के ठेके के लिए ई–ऑक्शन आमंत्रित की जाती है। ई–ऑक्शन के कैटलॉग IREPS पोर्टल (www.ireps.gov.in पर उपलब्ध हैं। कैटलॉग का विवरण इस प्रकार है। **Sr. No. : 01, Catalogue number** : C-BPL-PNU-DLX-E, **Type of contract :** BOT (डीलक्स) Pay & Use TOILETS, **Lot No./Bid No. :** PnU-BPL-ET-Toi-27-26-1 (Pay and use Toilets, **Contract Period :** 15 Years (5479 day), **Date and time of close of e auction :** 24.08.2026, 12:30:00, सम्पूर्ण जानकारी अनुबंध की सामान्य शर्तें एवं अनुबंध की विशेष शर्तें (www.ireps.gov.in) पर उपलब्ध है। प्रतिभागी पोर्टल पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते है। कृते मण्डल रेल प्रबंधक (वाणिज्य) पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

औद्योगिक विकास, निवेश-रोजगार सृजन पर चर्चा

संभागायुक्त तथा उद्योग विभाग आयुक्त ने किया उद्योगपतियों से संवाद

नवभारत न्यूज

मंडीदीप, 7 अगस्त. मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत मंडीदीप में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यालय में भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा, उद्योग विभाग के आयुक्त दिलीप कुमार तथा कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा ने उद्योगपतियों के साथ औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के संबंध में संवाद किया.

संभागायुक्त शर्मा ने उद्यमियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की.इस दौरान उन्होंने उद्योगों के विकास, नए निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा शासन की औद्योगिक योजनाओं का अधिकतम लाभ उद्यमियों तक पहुंचाने पर जोर दिया. इस अवसर पर होशंगाबाद रेंज आईजी चन्द्रशेखर सोलंकी भी उपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि नवीन उद्योगों की स्थापना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. उद्योग और प्रशासन के बीच निरंतर संवाद से औद्योगिक विकास को नई गति मिलती है.उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकता है, उद्योग विभाग के आयुक्त दिलीप कुमार ने उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लगातार प्रयासरत है. इस अवसर पर अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी तथा उद्योगपति उपस्थित रहे.

विधायक ने किया सब स्टेशन का भूमिपूजन

19 गांवों को मिलेगा लाभ

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 7 अगस्त. क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री ने शुक्रवार को 2 करोड़ 81 लाख की लागत से नीमखेड़ी गांव में स्थापित होने वाले विद्युत सब स्टेशन का भूमिपूजन किया.

सरपंच भगवान सिंह गौर ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं साफा बांधकर स्वागत किया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विष्णु खत्री ने कहा कि इस सब स्टेशन के चालू होने के बाद 19 गांव लाभान्वित होंगे, उनकी बिजली सप्लाई की समस्या का निदान होगा. इसके साथ ही वोल्टेज भी अच्छा मिलेगा. उन्होंने कहा कि नीमखेड़ी गांव के आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से वोल्टेज की समस्या आ रही थी. इस समस्या के समाधान के लिए लंबे समय से ग्रामीण सब स्टेशन की मांग कर रहे थे.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर
All India Institute of Medical Sciences, Nagpur

प्लॉट क्र.2, सेक्टर-20, मिहान, नागपुर, पिन: 441124
https://aiimsnagpur.edu.in

संख्या F/6-2/2025-Estt. तारीख : 08/08/2026

एम्स नागपुर में सिधी सेवा भर्ती के आधार पर विविध गैर-संकाय ग्रुप 'ए' पदभरती करने के लिये पात्र उम्मिदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अनु.क्र.	पद का नाम	गट	वेतनमान	ऊपरी आयु सीमा	कूल रिक्तियां
1.	असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिन्टेंडेंट	ए	स्तर-10	21 से 35 वर्ष के बीच	02 (महिला)
2.	चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट	ए	स्तर-10	21 से 35 वर्ष के बीच	01
3.	मेडिकल ऑफिसर (होम्योपैथी)	ए	स्तर-10	21 से 35 वर्ष के बीच	01
4.	मेडिकल ऑफिसर (यूनानी)	ए	स्तर-10	21 से 35 वर्ष के बीच	01
5.	मेडिकल फिजिसिस्ट (डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन)	ए	स्तर-10	21 से 35 वर्ष के बीच	01
6.	मेडिकल फिजिसिस्ट (डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो थेरेपी / रेडिएशन ऑन्कोलॉजी)	ए	स्तर-10	21 से 35 वर्ष के बीच	01
7.	ट्यूटर / क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर	ए	स्तर-10	18 से 35 वर्ष के बीच	02
		कुल			09

1. आयुसिमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि यह ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
2. उपरोक्त विज्ञापन पदों हेतु आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को संस्थान की वेबसाइट https://aiimsnagpur.edu.in देखने की सलाह दी जाती है। आवेदकों को चयन प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन (सुचना एवं अतिरिक्त जानकारी) संस्थान की वेबसाइट https://aiimsnagpur.edu.in पर प्रकाशित है।

दस्त/-
कार्यकारी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एम्स, नागपुर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल (म.प्र.)
फोन :-0755-2761257, E-mail:-eenvda23@gmail.com

निविदा सूचना क्र. 09/व.ले.लि.-23/2026-27/1762 भोपाल, दिनांक 05.08.2026

निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण)

ई-टेण्डरिंग पद्धति द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये ऑनलाइन निविदायें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है. निविदा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	नि.आ. सू.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर की राशि (रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	ठेकेदारों की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	09	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल के भू-तल स्थित मीटिंग हॉल में लाइट एवं माइक के लिए यू.पी.एस. सिस्टम स्थापित करने का कार्य.	रु. 4.10 लाख (रु. चार लाख दस हजार) मात्र (जी.एस.टी. रहित)	रु. 8,200.00 (रु. आठ हजार दो सौ मात्र)	रु. 2,000.00 (रु. दो हजार मात्र)	लोक निर्माण विभाग द्वारा पंजीकृत नवीन कोई भी श्रेणी एवं मुख्य निरीक्षक म.प्र. शासन द्वारा जारी 'अ' श्रेणी का विद्युत ठेकेदारी का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र.	01 माह

1. निविदा कार्य के प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 20.08.2026, 17:30 तक
2. धरोहर राशि एवं अर्हता दस्तावेज वेबसाइट पर खोलने की अनुमानित तिथि :- दिनांक 24.08.2026, 10:30

निविदा प्रपत्र केवल उपरोक्त वेबसाइट से निविदा मूल्य डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर क्रय किये जा सकते हैं.
निविदा की विस्तृत जानकारी एवं संशोधन के लिये वेबसाइट www.mptenders.gov.in का अवलोकन करें.

कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 23
59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, भोपाल

G16813/26

साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स

1/एफ, बिधाननगर, कोलकाता-700 064।
(परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान)

क्रमांक एसआईएनपी/स्था/विज्ञापन/11/2026 दिनांक: 31.07.2026

वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक श्रेणी में भर्ती

सीधी भर्ती और डेपुटेशन के आधार पर संस्थान में ऊपर बताई गई पोस्ट के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट www.saha.ac.in पर लॉग ऑन करें। ऑनलाइन आवेदन मिलने की आखिरी तारीख (और समय) – 15 सितंबर, 2026 (15:00 बजे IST) है।

CBC 48135/11/0009/2627 हस्ताक्षर/-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित

कार्यालय महाप्रबंधक (संपदा/निर्माण), संभाग क्र.-01
पंचानन भवन द्वितीय तल, मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष क्रमांक : 0755-2673196, E-mail : laghubpl01@gmail.com
क्र. : लउनि/निर्माण/संभाग-क्र.-1, भोपाल/2026-27/60 भोपाल, दिनांक : 07.08.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्य की निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति से वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती हैं:-

कार्य का नाम- 1. एमपीएसएसडीईजीबी एवं शासकीय संभागीय मुख्य भवन आई.टी.आई. केम्पस गोविन्दपुरा, भोपाल, जिला भोपाल में विभिन्न सिविल एलाइड, इंटीरियर रिनोवेशन एवं फर्निशिंग कार्य (द्वितीय आमंत्रण), अनुमानित लागत राशि रुपये 257.92 लाख। 2. म. प्र. पाठ्य पुस्तक निगम भवन अरेरा हिल्स, भोपाल के प्रबंध संचालक कार्यालय में इंटीरियर रिनोवेशन एवं विद्युतीकरण कार्य, अनुमानित लागत राशि रुपये 50.11 लाख। निविदा की समस्त जानकारी उक्त वेबसाइट पर दी जावेगी। निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है, तो वह उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

म.प्र. माध्यम/127459/2026 महाप्रबंधक (सं./नि.)

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को विलयत कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री देवेश श्रीमती राजकुमारी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल11002873)	वह संपूर्ण संपत्ति, जो खसरा संख्या 43/31/2 में स्थित है, ग्राम इटावा, तहसील बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश 470113 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकार: क्षेत्रफल 1200	रुपये 1032956/- (रु. दस लाख बतीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र)	15-04-2026	05-08-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 249, द इनफिनिटी, प्रथम तल, एम.पी. नगर, जोन-2, तुलसी होटल के पास, भोपाल-462011 या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- भोपाल प्रा. अधिकारी
दिनांक : 8-8-2026 कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय नगर परिषद न्यूटनचिखली, जिला-छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

फोन नं.- 07161222249 ईमेल- cmonewtonchikhli@mpurban.gov.in

क्रमांक 776/PWD/NP/2026 न्यूटनचिखली, दिनांक 06/08/2026

// निविदा सूचना //

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है :-

टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5
2026_UAD_527557_1 दि 07.08.2026	वार्ड क्रं. 05 में आयरन रिमूवल सिस्टम फॉर ड्रिकिंग वाटर एवं ड्राइंग स्लज बेड निर्माण कार्य	09 माह, 1, 53, 98, 099/-	12, 500/- 77, 000/-	09-09-2026

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन http://www.mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद न्यूटनचिखली

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन

सार्वजनिक सूचना

दिनांक 31.07.2026

प्रकरण क्रमांक 00 / अ-82/2026-27 चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/शा 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. अतएव निम्न दर्शित भूमि धारकों से परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम में पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति की भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर) में आधार सहित प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियो पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
भूमि का वर्णन

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हे. में	अर्जित रकबा हे. में	प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01.	ऋषभ कुमार/निर्मलचंद	देहगवॉ	151/2	0.207	0.054	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रायसेन	बेगमगंज सागर मार्ग (SH-86 A) से महुआखेड़ा कलां, गोरखा, पडरिया राजाधार से सिलवानी सागर (SH-15) मार्ग निर्माण
02.	निर्मलचंद/कन्हैयालाल		147/2	0.121	0.053		
03.	अमन/राजकुमार		147/1	0.195	0.044		
04.	नवीन/निर्मलचंद		145/2	0.251	0.134		
05.	अमन / राजकुमार जैन		145/3	0.210	0.116		
06.	अमन/राजकुमार		145/1/1	0.166	0.013		
07.	अमन/राजकुमार		143/1	0.069	0.057		
08.	निर्मलचंद / कन्हैयालाल		143/2	0.065	0.056		
09.	सुनील/निर्मलकुमार		142	0.198	0.084		
10.	मनीषकुमार / प्योलाल		355/92	0.486	0.039		
11.	कमलेश पिता रणधीर		363/142/1	0.708	0.077		
12.	रामराज पिता रणधीर		363/142/2	0.708	0.077		
13.	अमन/राजकुमार जैन		148/1,149	0.123	0.045		
14.	निर्मलचंद / कन्हैयालाल		148/2,149	0.126	0.045		
15.	रामराज पिता रूधीरसिंह राजपूत		92/2	0.190	0.005		
16.	रामबती बाई पत्नी करोड़ी		90	0.441	0.140		
17.	अमन / राजकुमार जैन		94/1	1.290	0.308		
18.	निर्मलचंद पिता कन्हैयालाल		94/2/1	1.292	0.023		
				6.846	1.370		

G16802/26 सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बेगमगंज जिला रायसेन